### <u>1</u> <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 106/2011</u>

## न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक 106 / 2011 संस्थापित दिनांक 04 / 03 / 2011 फाईलिंग नम्बर 230303002112011

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— मौ, जिला भिण्ड म0प्र0

> > <u>..... अभियोजन</u>

#### बनाम

- राजू उर्फ राजवीर पुत्र भगवान गौड उम्र 37 साल व्यवसाय खेती निवासी—ग्राम छेकरी पुलिस थाना मौ,जिला भिण्ड म0प्र0
- फरार ........... 2. छोटेलाल पुत्र शेवक्स आदिवासी उम्र 62 वर्ष निवासी वरधा पी.एस. आबदा जिला श्योपुर म.प्र.

<u>..... अभियुक्त</u>

(अपराध अंतर्गत धारा—304 ए भा०द०स० एवं <u>146 / 196</u> मोटरयान अधिनियम) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार।) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री आर०पी०गुर्जर।)

### <u>::- नि र्ण य -::</u>

## <u>(आज दिनांक 25 / 03 / 2017 को घोषित किया)</u>

आरोपी राजू उर्फ राजवीर पर दिनांक 31/03/11 को शाम लगभग 4:00बजे ग्राम रतवा के पास रामिसया के खेत में रोड पर लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन लाल रंग के मिहन्द्रा टैक्टर को बिना बीमा के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुये फिरयादी दिनेश की भाभी छोटीबाई को टक्कर मारकर उसकी आपराधिक मानववध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित करने हेतु भा0दं0सं0 की धारा 304 ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अंतर्गत आरोप हैं।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 31/1/11 को फरियादी दिनेश शिवहरे अपने बड़े भाई रामसेवक व भाभी छोटीबाई के साथ शाम करीबन 4:00बजे अपने घर से अपने टुण्डा वाले खेत पर मौ रोड से जा रहे थे। वह और उसका भाई रामसेवक आगे थे तथा भाभी छोटीबाई पीछे थी। वह लोग रामसिया के खेत के पास पहुंचे थे तभी गांव की तरफ से एक टैक्टर महेन्द्रा 275 जिसकी टॉली में खण्डे भरे थे को उसका चालक तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया था उसने व उसके भाई ने पीछे मुड़कर देखा था कि टैक्टर चालक ने उसकी भाभी छोटीबाई के

टक्कर मार दी थी भाभी गिर पड़ी थी टैक्टर को उसका चालक तेजी व लापरवाही से भाभी के उपर चढाता हुआ मौ की तरफ भगाकर ले गया था। उसने व उसके भाई ने भाभी को जाकर देखा था तो भाभी खत्म हो गई थी गांव से परिवार वालों के आ जाने पर भाभी की लाश को वही छोड़कर वह रिर्पोट करने गया था। टैक्टर का पीछा करने पर पखोजिया गांव के पास टैक्टर को पकड़ लिया था टैक्टर चालक टैक्टर टॉली छोड़कर भाग गया था। फरियादी द्वारा घटना की रिर्पोट थाना मौ में की गई थी। फरियादी की रिर्पोट पर पुलिस थाना मौ में अप0क015/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरेपि को गिरफतार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टया पढकरसुनाई व समझाई जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

# 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है :--

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 31/1/11 को शाम लगभग 4:00बजे रामसिया के खेत के पास रोड पर ग्राम रतवा में लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन लाल रंग के महिन्द्रा टैक्टर को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुये मृतक छोटीबाई में टक्कर मारकर उसकी आपराधिक मानववध की श्रेण में न आने वाली मृत्यू कारित की?
- 2. क्या आरोपी के पास घटना दिनांक समय व स्थान पर आरोपित टैक्टर कोचलाने का बीमा नहीं था?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी दिनेश शिवहरे आ0सा01,रामसेवक आ0सा02,रामिसया आ0सा03,रामदास आ0सा04, बंटू आ0सा05,अशोक आ0सा06,सोमवीर आ0सा07,अमृतलाल आ0सा08, रामनरेश आ0सा09को परीक्षित किया गया है जबिक आरोपी की ओर से बचाव में स्वयं को ब0सा01 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

# निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न कमांक 1 एवं 2

7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी दिनेश शिवहरे आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया हैिक घटना उसके न्यायालीन कथन से लगभग 3—4 साल पहले शाम 4:00बजे की है वह घटना वाले दिन अपनी भाभी के साथ अपने खेत पर जा रहा था। घटना 31/1/11 की है वह आगे था उसकी भाभी पीछे थे,पीछे से एक टैक्टर आया था टैक्टर वाले ने उसकी भाभी पर टैक्टर चढा दिया था और टैक्टर लेकर चला गया था जब तक लोक इकटठे हुये तब तक वह टैक्टर लेकर चला गया था। उसकी भाभी वहीं पर खत्म हो गई थी टैक्टर उनके खेत के उपर चढ गया था टैक्टर महिन्द्रा कंपनी का था उस पर 275 लिखा था। उसने घटना की रिर्पोट थाना मौ में की थी जो प्र0पी01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जहां

एक्सीडेंट हुआ था वहां पुलिस आई थी नक्शा मौका प्र0पी02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। टैक्टर रतवा की तरफ से आ रहा था उसमें खण्डे भरे हुये थें। टैक्टर छेकुरी का था टैक्टर तेजी से आया था इसलिये घटना हुई थी।

- 8. प्रतिपरीक्षण के पद क03 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने एफ0आई0आर ओर पुलिस कथन में आरोपी का नाम लिखाया था यदि न लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकता है। पद क06 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया हैकि उसने टैक्टर को नहीं पकडा था लोगों ने टैक्टर को कहा पकडा था उसे नहीं पता। पद क08में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि टक्कर उसके सामने नहीं हुई थी क्योंकि वह आगे था और उसकी भाभी पीछे थी।
- 9. साक्षी रामसेवक आ०सा०२,रामिसया आ०सा०३,रामदास आ०सा०४,बंटू आ०सा०५, अशोक आ०सा०६,एवं सोमवीर आ०सा०७ ने भी फरियादी दिनेश आ०सा०१ के कथन का समर्थन किया है तथा घटना दिनांक को मृतिका छोटीबाई की टैक्टर द्वारा एक्सीडेंट होने से मृत्यु होने बाबत प्रकटीकरण किया हैं।
- 10. साक्षी अमृतलाल आ०सा०८ द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया हैिक घटना के समय वह मौके पर नहीं था उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने गिरफतारी पंचनामा प्र०पी०७ एवं प्र०पी०८ तथा जप्ती पंचनामा प्र०पी०९ के क्रमशः ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया हैं।
- 11. साक्षी रामनरेश आ०सा०१ ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया हैकि वह आरोपी राजू को नहीं जानता हैं उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है उसके सामने आरोपी राजू को गिरफतार नहीं किया गया था न ही उसके सामने गिरफतारी पंचनामा प्र0पी०१ बनाया गया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूंछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार कियाहै कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी राजू को गिरफ्तार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी०७ एवं ८ बनाया था एवं इस सुझाव से भी इंकार कियाहैकि उसने छोटेलाल से महिन्द्रा टैक्टर कमांक एम.पी.०६ जे—4023 खरीदा था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया हैकि उसने उक्त टैक्टर पर राजू को चालक नियुक्त किया था। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया हैकि आरोपी राजू उर्फ राजवीर ने आरोपित टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर मृतिका छोटीबाई में टक्कर मार दी थी।
- 12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 13. बचाव के दौरान आरोपी राजवीर ब0सा01 द्वारा स्वयं को परीक्षित कराया गया है। आरोपी राजवीर ब0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को वह अपने टैक्टर से रतनगढ़ वाली माता से लौटकर ग्राम छेकुरी आ रहा था ,जैसे ही वह कस्बा मौ में आया था तो पुलिस वालों ने उसका टैक्टर रोक दिया था व उसके टैक्टर को बंद कर दिया था तथा डायवर को भगा दिया था बाद में उसने जानकारी ली थी तो पता चला था कि उसका टैक्टर एक्सीडेंट के कैस में बंद कर दिया गया है। उसने उक्त संबंधमें शिकायत की थी। शिकायती आवेदन प्र0डी03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी दिनेश शिवहरे अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह अपनी भाभी के साथ अपने खेत पर जा रहा था तभी पीछे से महिन्द्रा कम्पनी का एक द्रेक्टर आया था और उसने उसकी भाभी को टक्कर मार दी थी जिससे उसकी भाभी की मृत्य हो गयी थी। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि द्रेक्टर महिंद्रा कम्पनी का था जिस पर 275 लिखा था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यहभी बताया है कि उसने एफ.आई. आर. और पुलिस कथन में आरोपी का नाम लिखाया था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि टककर उसके सामने नहीं ह्यी थी क्योंकि उसकी भाभी आगे थी एवं वह पीछे था। इस प्रकार फरियादी दिनेश शिवहरे अ.सा. 1 ने अपने कथन में छोटी बाई का द्रेक्टर से एक्सीडेंट होना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना के वक्त दुर्घटना कारित करने वाले द्रेक्टर को कौन चला रहा था। यद्यपि प्रतिपरीक्षण के पद क. 3 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसने प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट एवं पुलिस कथन में आरोपी का नाम लिखाया था, परंतू यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट एवं फरियादी दिनेश के पुलिस कथन प्रदर्श डी 1 में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि दुर्घटना के समय दुर्घटना कारित करने वाले द्रेक्टर को कौन चला रहा था। फरियादी दिनेश अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में भी एक्सीडेंट होना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना के समय दुर्घटना कारित करने वाले द्रेक्टर को कौन चला रहा था। फरियादी दिनेश अ.सा. 1 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है अतः उक्त साक्षी के कथनों से आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।
- 15. साक्षी रामसेवक अ.सा.2 ने अपने मुख्य परीक्षण में छोटी बाई का द्रेक्टर से एक्सीडेंट होना बताया है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि द्रेक्टर को कौन चला रहा था। इस प्रकार रामसेवक अ.सा.2 ने भी अपने कथन में छोटी बाई का द्रेक्टर से एक्सीडेंट होना तो बताया है परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाले द्रेक्टर को कौन चला रहा था। उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।
- साक्षी रामसिया अ.सा.३ ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन उसकी पत्नी छोटी बाई खेत पर जा रही थी तो रतवा के आगे खेत पर लाल रंग का महिंद्रा द्रेक्टर लापरवाही से चला रहा था और उसने उसकी पत्नी छोटी बाई को टक्कर मार दी थी। द्रेक्टरवाला द्वेक्टर को मौ की तरफ भगाकर ले गया था। फिर उसने सुना था कि द्वेक्टर पकोजिया में पकड़ लिया गया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह अधिक समय होने के कारण आरोपी को नहीं पहचान सकता है तथा यह भी व्यक्त किया है कि उसने द्रेक्टर का नंबर नहीं देखा था क्योंकि वह वहां से भाग गया था। वह घटनास्थल पर दो-तीन मिनट में पहुंच गया था। द्रेक्टर का पता लगाने के लिए वह नहीं गया था मोहल्ले के लोग गये थे। इस प्रकार रामसिया अ.सा.3 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने एक्सीडेंट होते हुए देखा था, परंतु उक्त साक्षी के पुलिस कथन प्रदर्श डी1 के अनुसार उसे छोटी बाई के एक्सीडेंट की सूचना घर पर मिली थी एवं जब वह मौके पर पहुंचा था तो उसने छोटीबाई को घायल अवस्था में देखा था। इस प्रकार उक्त बिंदू पर साक्षी रामसिया अ.सा.३ के कथन उसके पुलिस कथन प्रदर्श डी1 से विरोधाभाषी रहे हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रामसिया अ.सा.3 नें छोटीबाई का द्रेक्टर से एक्सीडेंट होना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाले द्रेक्टर को कौन चला रहा था। उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

- 17. साक्षी रामदास अ.सा.4 ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को एक महिन्द्रा देक्टर 275 के चालक ने बड़ी तेजी से उसकी चाची छोटी बाई को टककर मार दी थी जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसने घटना के समय देक्टर चालक को नहीं देखा था क्योंकि वह देक्टर से काफी दूर था उसने एवं बलवीर सिंह ने देक्टर का पीछा किया था तो ग्राम पखोजिया के पास लावारिश हालत में रोड के नीचे देक्टर खड़ा मिला था। इस प्रकार रामदास अ.सा.4 के कथनों से भी यह दर्शित होता है कि रामदास अ.सा.4 ने छोटीबाई की एक्सीडेंट में मृत्यु होना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाले देक्टर को कौन चला रहा था। उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसने मौके पर देक्टर चालक को नहीं देखा था। इस प्रकार उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।
- 18. साक्षी बंदू अ.सा.5 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन दिनेश ने उसे आवाज लगायी थी तो वह दौड़कर मौके पर पहुंचा था तो उसने देखा था कि उसकी भाभी का देहांत हो गया था। उसने इतना देखा था कि एक लाल रंग का मिहंद्रा द्वेक्टर तेजी व लापरवाही से जा रहा था वह द्वेक्टर बिना नंबर के था। उसने व अशोक ने उस द्वेक्टर को पखोजिया में जाकर पकड़ा था। द्वाइवर द्वेक्टर को छोड़कर भाग गया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी ६ गिषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मृतिका रामिया की पत्नी थी जिसका नाम छोटी बाई था। इस प्रकार बंदू अ.सा. 5 के कथनों से यह दर्शित हे कि उक्त साक्षी वाहन दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने पखोजिया में द्वेक्टर पकड़ा था एवं द्वेक्टर का चालक द्वेक्टर को छोड़कर भाग गया था। उक्त साक्षी के कथनों से भी यह दर्शित नहीं होता है कि घटना के वक्त आरोपित द्वेक्टर को आरोपी राजवीर चला रहा था। उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।
- 19. साक्षी अशोक अ.सा.६ ने अपने कथन में यह बताया है कि एक्सीडेंट के वक्त वह मौके पर नहीं था। दिनेश के आवाज लगाने पर वह मौके पर पहुंचा था जब वह पहुंचा था तब तक द्रेक्टर वाला भाग गया था। वह लोग द्रेक्टर के पीछे गये थे। ग्राम पखोज्या में खाली खड़ा हुआ द्रेक्टर मिला था। इर्इवर नहीं था। जब टककर हुयी थी तब द्रोली में खण्डे भरे थे और जो द्रेक्टर उसने पखोजिया में पकड़ा था उसमें खण्डे नहीं भरे थे। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि उक्त द्रेक्टर को कोन चला रहा था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि एक्सीडेंट उसके सामने नहीं हुआ था वह टककर होने के बाद मौके पर पहुंचा था उसने द्रेक्टर चालक को नहीं देखा था। इस प्रकार साक्षी अशोक अ.सा.६ के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि जिस देक्टर से एक्सीडेंट हुआ था उसमें खण्डे भरे हुये थे एवं जो द्रेक्टर ग्राम पखोजिया में पकड़ा गया था उसकी द्रोली में खण्डे नहीं भरे थे। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथनों से यह भी संदेहास्पद हो जाता है कि जो द्रेक्टर ग्राम पखोजिया में पकड़ा गया था वह वही द्रेक्टर है जिससे वाहन दुर्घटना कारित हुयी थी। साक्षी अशोक अ.सा.६ ने भी अपने कथन में आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।
  - साक्षी सोमवीर अ.सा.७ भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त साक्षी ने भी

20.

एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था। वह घटना के बाद मौके पर पहुंचा था उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि एक्सीडेंट किसने किया था उसने नहीं देखा था। उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

- 21. अमृतलाल अ.सा.८ एवं रामनरेश अ.सा.९ ने भी घटना की जानकारी न होना बताया है। साक्षी अमृतलाल अ.सा.८ ने मात्र गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी ७ एवं ८ तथा जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी ७ के कमशः ए से ए भाग पर एवं साक्षी रामनरेश अ.सा. ९ ने गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी ७ एवं ८ तथा जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी ७ के कमशः बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त दोनों साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी 1 की प्रथम सुचना रिपोर्ट के अनुसार जिस 22. द्रेक्टर से एक्सीडेंट हुआ था, उसकी द्रोली में खण्डे भरे हुये थे। साक्षी रामसवेक अ.सा.२, रामसिया अ. सा.३, रामदास अ.सा.४, अशोक अ.सा.६ ने भी अपने कथन में यह बताया है कि जिस द्रेक्टर ने मृतिका छोटी बाई को टककर मारी थी उसमें खण्डे भरे हुये थे एवं साक्षी अशोक अ.सा.६ ने यह भी बताया है कि पखोजिया में जो द्वेक्टर पकड़ा गया था उसकी द्वोली में खण्डे नहीं भरे थे। प्रदर्श पी 6 के जप्तीपंचनामे में भी जप्तशुदा द्वेक्टर में खण्डे भरे होने का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह दर्शित है कि साक्षी रामसेवक अ.सा.२, रामसिया अ.सा.३, रामदास अ.सा.४ एवं अशोक अ. सा.६ ने अपने कथन में दुर्घटना कारित करने वाले द्रेक्टर में खण्डे भरे होना बताया है एवं प्रकरण में जो द्रेक्टर जप्त किया गया है वह खाली था। यद्यपि साक्षी ओमवीर अ.सा.७ ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन शाम साढ़े चार पांच बजे उसे एक्सीडेंट की सूचना मिल गयी थी फिर वह मोटरसाइकिल से घटना स्थल पर गया था तो उसने मौके पर ग्रामीणों को द्रेक्टर से खण्डे खाली करते हुए देखा था, परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बंटू अ.सा.5 द्वारा यह बताया गया है कि उसने लाल रंग के महिन्द्रा द्वेक्टर को तेजी से जाते हुए देखा था फिर उसने व अशोक ने द्वेक्टर को ग्राम पखोजिया में पकड़ा था। इस प्रकार बंदू अ.सा.5 के कथनों से यही प्रकट होता है कि एक्सीडेंट होने के तुरंत पश्चात् ही बंदू एवं अशोक दुर्घटना कारित करने वाले द्रेक्टर को पकड़ने के लिए उसके पीछे गये थे एवं बंदू अ.सा.५ एवं अशोक अ.सा.६ के कथनानुसार उनके द्वारा पखोजिया में द्रेक्टर पकड़ा गया था। इतने अल्प समय में द्रेक्टर से खण्डे खाली कर देना संभव नहीं है अतः साक्षी सोमवीर अ.सा. 7 का यह कथन कि उसने ग्रामीणों को द्रेक्टर से खण्डे खाली करते हुए देखा था सत्य नहीं है। प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह दर्शित है कि वाहन दुर्घटना जिस द्रेक्टर से हुयी थी उस द्रेक्टर में खण्डे भरे थे, परंत् प्रदर्श पी 6 के जप्तीपंचनामे के अनुसार जो द्रेक्टर जप्त किया गया है उसमें खण्डे भरे होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में यह ही संदेहास्पद हो जाता है कि प्रकरण में जप्तशुदा द्रेक्टर से ही वाहन दुर्घटना कारित हुयी थी।
- 23. इस प्रकार उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फिरियादी दिनेश शिवहरे अ.सा.1, रामसेवक अ.सा.2, रामिसया अ.सा.3, रामदास अ.सा.4, बंटू अ.सा.5 अशोक अ.सा.6 एवं सोमवीर अ.सा.7 द्वारा मृतक छोटी बाई का एक्सीडेंट होना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाले द्रेक्टर को कौन चला रहा था। अमृतलाल अ.सा. 8 एवं रामनरेश अ.सा.9 द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को मृतक छोटी बाई का आरोपित द्रेक्टर

से एक्सीडेंट हुआ था एवं यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि दुर्घटना कारित करने वाले द्रेक्टर को आरोपी राजू उर्फ राजवीर चला रहा था।

- 24. जहां तक आरोपी राजू उर्फ राजवीर द्वारा आरोपित द्रेक्टर बिना बीमा के चलाने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि आरोपी राजवीर ब.सा.1 ने अपने कथन में यह बताया है कि दिनांक 31/01/11 को कस्बा मौ में पुलिस वालों ने उसका द्रेक्टर रोक लिया था एंव उसके द्रेक्टर को बंद कर दिया था, परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना रामिसया के खेत के पास रोड पर ग्राम रतवा की है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपी घटनास्थल रामिसया के खेत के पास ग्राम रतवा में बिना बीमा के द्रेक्टर चला रहा था एवं आरोपी राजवीर ब.सा.1 द्वारा जो कथन दिया गया है वह अभियोजन की कहानी नहीं है ऐसी स्थिति में प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर आरोपित द्रेक्टर को बिना बीमा के चलाया था।
- 25. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।
- 26. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 31/03/11 को शाम लगभग 4:00बजे ग्राम रतवा के पास रामिसया के खेत में रोड पर लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन लाल रंग के मिहन्द्रा टैक्टर को बिना बीमा के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुये फिरयादी दिनेश की भाभी छोटीबाई को टक्कर मारकर उसकी आपराधिक मानववध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी राजू उर्फ राजवीर को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा0दं0सं0 की धारा 304ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- 27. आरोपी पूर्व से जमानत पर हैं उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।
- 28. प्रकरण में आरोपी छोटेलाल फरार है अतः प्रकरण का अभिलेख एवं जप्तशुदा सम्पत्ति सुरक्षित रखी जावे।

स्थान – गोहद दिनांक – 25–03–2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)